न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कोटा, जिला कोटा (राज0)
पीठासीन अधिकारी : वीरेन्द्र सिंह यादव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 46/2017 (गुण्डा एक्ट)
जी.सी.एम.एस नं.– 2023/85

उनवान

राज्य सरकार जर्ये थानाधिकारी पुलिस स्टेशन सुकेत जिला कोटा ग्रामीण (राज0)

बनाम

अब्दुल रज्जाक पुत्र अब्दुल रहमान जाति मुसलमान निवासी अरनिया थाना इकलेरा जिला झालावाड हाल लंका तलाई जुल्मी रोड सुकेत थाना सुकेत जिला कोटा

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 (1)
राजस्थान गुण्डा
नियंत्रण अधिनियम, 1975

निर्णय दिनांक : 29/10/25

थानाधिकारी पुलिस स्टेशन सुकेत जिला कोटा ग्रामीण की ओर से जर्ये पुलिस अधीक्षक, जिला कोटा (ग्रामीण) यह इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 (1) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 में कार्यवाही हेतु इस आशय के साथ पेश किया गया कि गैरसायल **अब्दुल रज्जाक पुत्र अब्दुल रहमान जाति मुसलमान निवासी अरनिया थाना इकलेरा जिला झालावाड हाल लंका तलाई जुल्मी रोड सुकेत थाना सुकेत जिला कोटा** थाना क्षैत्र में अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तथा जुआ अध्यादेश अधिनियम के अन्तर्गत अपराध करने का आदी है, तथा उक्त अपराध को करने में थाना क्षैत्र में आतंक बनाकर रखता है। गैरसायल की उक्त गतिविधियों से आम जन आतंकित होकर भयग्रस्त रहते है। जिससे उसके क्षैत्र में निवास करने वालें साक्षी लोग उसके विरूद्ध साक्ष्य देने के लिऐ आगे आने के इच्छुक नहीं रहते है। साक्ष्य देने की स्थिति में अपने आपको असुरक्षित महसूस करते है। गैरसायल के विरूद्ध आपराधिक रिकार्ड निम्न है।

क्र. स.	प्रकरण संख्या	धारा	चार्जशीट न0 व दिनांक	न्यायालय निर्णय
1.	35/2012	13 आरपीजीओ	27/28-1-2012	न्यायालय द्वारा 50 रू0 जुर्माना किया गया।
2.	162/2012	13 आरपीजीओ	153/ 13-06-2012	न्यायालय द्वारा 50 रू0 जुर्माना किया गया।
3.	203/12	13 आरपीजीओ	198/ 18-07-2012	न्यायालय द्वारा 50 रू0 जुर्माना किया गया।
4.	219/12	13 आरपीजीओ	211/27-7-2012	न्यायालय द्वारा 50 रू0 जुर्माना किया गया।
5.	245/17	384 आई.पी.सी.	पैण्डिग पुलिस	मुल0 की गिरफतारी शेष है

अति. जिला कलक्टर
कोटा

अतः **अब्दुल रज्जाक पुत्र अब्दुल रहमान जाति मुसलमान निवासी अरनिया थाना इकलेरा जिला झालावाड हाल लंका तलाई जुल्मी रोड सुकेत थाना सुकेत जिला कोटा** के विरूद्ध इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3(1) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत कार्यवाही हेतु प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी गैरसायल की गई। गैरसायल को सारवान आरोपों को अभिलिखित करते हुऐ नोटिस दिया गया। गैरसायल उपस्थित हुआ। गैरसायल की ओर से वकील श्री रामबाबू मालव द्वारा वकालतनामा पेश किया। गैरसायल द्वारा जर्ये वकील जवाब पेश कर कथन किया कि पुलिस द्वारा मेरे विरूद्ध जो मुकदमें दर्ज किये गये है उनका निस्तारण लोक अदालत की भावनानुसार हो चुका है गैरसायल के विरूद्ध कोई प्रकरण लंबित नही है। पुलिस द्वारा उक्त इस्तगासा गैरसायल के विरूद्ध दर्ज प्रकरण सन् 2012 को आधार बनाकर उक्त प्रकरण 2017 में प्रस्तुत किया गया है। इस्तगासा प्रस्तुत करने की तिथि से पिछले लगभग 5 वर्षो में तथा दौराने विचारण कोई अपराधिक कृत्य किये जाने बाबत् कोई दस्तावेज गैरसायल के विरूद्ध पेश नही किया है। गैरसायल वर्तमान में अपना जीयन यापन शांति पूर्वक अपने परिवार के साथ व्यतीत कर रहा है। प्रार्थी पर आरोपित अपराध की अवधि उक्त नोटिस में अधिनियम की धारा के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने के तत्काल पूर्ववर्ती 6 माह के भीतर कोई अपराध करारित करने की कोई रिपोर्ट भी नही है। अतःगैरसायल को नेक चलन सदाचारी रहने एवं शांति पूर्वक रूप से जीवन यापन करने हेतु गैरसायल के विरूद्ध नरमी का रूख अख्तियार करते हुए विचाराधीन कार्यवाही को समाप्त करने की कृपा करे।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। अभियोजप पक्ष पैरोकार सरकार की ओर से बहस में प्रस्तुत इस्तगासे में वर्णित 13 आर.पी. जी.ओ. की धारा मे 4 व अन्य धाराओ में 01 दर्ज प्रकरण अनुसार गैरसायल का अपराधिक प्रवृति का होना कथन करते हुए जिला बदर किये जाने की प्रार्थना की गई। वकील गैरसायल द्वारा दौराने बहस जवाब में अंकित तथ्यो को दोराहते हुए कथन किया कि पुलिस द्वारा मेरे विरूद्ध जो मुकदमें दर्ज किये गये है उनका निस्तारण लोक अदालत की भावनानुसार हो चुका है गैरसायल के विरूद्ध कोई प्रकरण लंबित नही है। पुलिस द्वारा उक्त इस्तगासा गैरसायल के विरूद्ध दर्ज प्रकरण सन् 2012 को आधार बनाकर उक्त प्रकरण 2017 में प्रस्तुत किया गया है। इस्तगासा प्रस्तुत करने की तिथि से पिछले लगभग 5 वर्षो में तथा दौराने विचारण कोई अपराधिक कृत्य किये जाने बाबत् कोई दस्तावेज गैरसायल के विरूद्ध पेश नही किया है। गैरसायल वर्तमान में अपना जीयन यापन शांति पूर्वक अपने परिवार के साथ व्यतीत कर रहा है। प्रार्थी पर आरोपित अपराध की अवधि उक्त नोटिस में अधिनियम की धारा के अधीन कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने के तत्काल पूर्ववर्ती 6 माह के भीतर कोई अपराध करारित करने की कोई रिपोर्ट भी नही है। अतःगैरसायल को नेक चलन सदाचारी रहने एवं शांति पूर्वक रूप से जीवन यापन करने हेतु गैरसायल के विरूद्ध नरमी का रूख अख्तियार करते हुए विचाराधीन कार्यवाही को समाप्त करने की कृपा करे।

पत्रावली में बहस उभयपक्ष सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन करने उपरान्त हम यह पाते हे कि यघपि अभियोजन पक्ष पैरोकार सरकार की ओर से इस्तगासे वर्णित 13 आर.पी.जी.ओ. के अभियोजन के अनुसार गैरसायल को अपराधिक प्रवृति का होना कथन करते हुए जिला बदर किये जाने की प्रार्थना की है। किन्तु गैरसायल के विरूद्ध इस्तगासा प्रस्तुत करने की तिथि 9.10.2017 से आदिनांक तक कोई अपराधिक प्रकरण दर्ज होने संबधी अथवा कोई अपराधिक कृत्य किए जाने संबधित कोई दस्तावेज अथवा साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नही है। गैरसायल के विरूद्ध इस्तगासें में दर्ज प्रकरण वर्ष 2012 से पूर्व के है। इन अभियोगो के संबध में गैरसायल की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस मे कथन किया है कि उक्त प्रकरणों का निर्णय लोक अदालत की भावना अनुसार हो चुका है। गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा एक्ट नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के तहत कार्यवाही हेतु यह प्रकरण दिनांक 9.10.2017 को प्रस्तुत किया गया है तथा इस्तगासा प्रकरण करने कि तिथि से दौराने विचारण इस्तगासा कोई अपराधिक प्रकरण दर्ज होने संबधी अथवा कोई अपराधिक कृत्य किये जाने संबधित कोई दस्तावेज अथवा साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नही है। गैरसायल द्वारा प्रस्तुत जवाब में यह कथन किया है कि गैरसायल को नेक चलन सदाचारी रहने एवं शांति पूर्वक रूप से जीवन यापन करने हेतु गैरसायल के विरूद्ध नरमी का रूख

अति. जिला कलक्टर
कोटा

अख्तियार करते हुए विचाराधीन कार्यवाही को समाप्त करने की कृपा करे। अतः प्रकरण में उल्लेखित तथ्यों के प्रकाश में यह निर्देशित करते हुए गैरसायल के विरूद्व इस प्रकरण को समाप्त किया जाना उचित समझते है कि गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (बी) के अनुसार पुनः उपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो गैरसायल के विरूद्व विधिवत नियमानुसार अविलम्ब प्रकरण प्रस्तुत किया जावे।

अतःउपरोक्त विवेचन अनुसार गैरसायल **अब्दुल रज्जाक पुत्र अब्दुल रहमान जाति मुसलमान निवासी अरनिया थाना इकलेरा जिला झालावाड हाल लंका तलाई जुल्मी रोड सुकेत थाना सुकेत जिला कोटा के विरूद्व यह प्रकरण समाप्त किया जाता है तथा थानाधिकारी सुकेत को यह निर्देशित किया जाता है कि** गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2 (बी) के अनुसार पुनः उपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो गैरसायल के विरूद्व विधिवत नियमानुसार अविलम्ब प्रकरण प्रस्तुत किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 29/10/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
कोटा, जिला कोटा
अति. जिला कलेक्टर
कोटा